Website – kbpgcollege.ac.in
E-mail – kbpgcmzp@gmail.com

स्थापित–1957

के0बी0पी0जी0 कालेज, मीरजापुर (उ0प्र0)

(सम्बद्ध माँ विन्ध्यवासिनी विश्वविद्यालय, मीरजापुर)

प्रवेश विवरणिका

स्नातक (कला एवं विज्ञान)

सत्र 2026-2027

(वर्ष–2024, 2025 एवं 2026 में उत्तीर्ण छात्र ही स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन करें)

प्रो0 (डॉ0) रवीन्द्र कुमार द्विवेदी
प्राचार्य

(वर्ष-2024, 2025 एवं 2026 में उत्तीर्ण छात्र ही स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन करें)

प्राचार्य का संदेश

प्रिय विद्यार्थियों,

महाविद्यालय के नवीन शैक्षिक सत्र में आप सभी का स्वागत है।

हमारा देश भारतवर्ष विस्तृत भूभाग में विशाल जनसमूह को धारण करता हुआ विविध भाषाओं, धर्मो और परम्पराओं तथा इस विविधता को एक सूत्र में पिरोने वाली प्राचीन संस्कृति का देश है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय गणराज्य के निर्माताओं ने जिस विकसित, शक्तिशाली और विश्व मानवता के उन्नायक राष्ट्र के निर्माण का स्वप्न देखा था, उसे साकार करने का सर्वाधिक गुरूतर दायित्व हमारी शिक्षण संस्थाओं का है, जिन पर राष्ट्र के भावी कर्णधारों के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास की जिम्मेदारी है।

उपर्युक्त महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु जनपद मीरजापुर की सबसे पुरानी उच्च शिक्षण संस्था हमारा यह महाविद्यालय वर्ष 1957 में अपनी स्थापना के समय से ही सतत् कार्यरत है।

आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः

महाविद्यालय का यह प्रेरणा सूत्र है। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल की सूक्त सं0–89 की प्रथम ऋचा का यह प्रथम चरण है। इसमें प्रार्थना की गयी है कि सभी अन्तर्निहित तथा व्यक्त अभीष्ट शक्तियाँ सभी दिशाओं से (सद्ज्ञान, सत्संकल्प तथा सत्कार्य के लिये) हमारे पास आ जायें। आइये आप और हम मिलकर अपने आचरण से इस आदर्श को चरितार्थ करने की ओर अग्रसर हों, ऐसी हमें आशा है।

महाविद्यालय में प्रवेश लेने जा रहे आप सभी विद्यार्थियों से हम अपेक्षा करते हैं कि आप शिक्षण और शिक्षणेत्तर गतिविधियों में प्रतिभाग करते हुये निष्ठा, समर्पण तथा अनुशासन के मानकों के अनुरूप आचरण करें। जिस पाठ्यक्रम में आप प्रवेश ले रहे हैं उसमें विशिष्ट शैक्षिक उपलब्धियाँ तो अर्जित करें हीं, अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करते हुये भविष्य में राष्ट्र निर्माण तथा उन्नयन में योगदान करके अपने साथ अपने महाविद्यालय की भी कीर्ति का प्रसार करें।

महाविद्यालय परिवार योग्य एवं कर्तव्यनिष्ठ अध्यापकों और कर्मचारियों तथा शैक्षिक और शिक्षणेत्तर गतिविधियों हेतु अपने उपलब्ध संसाधनों के साथ आपके पूर्ण सहयोग और मार्गदर्शन के लिये तथा आपके सम्मुख आने वाली किसी भी कठिनाई के निराकरण हेतु पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। राष्ट्र और मानवता का कल्याण आपके उत्थान में ही निहित है।

शुभकामनाओं के साथ

प्रो0 (डॉ0) रवीन्द्र कुमार द्विवेदी
प्राचार्य

(वर्ष–2024, 2025 एवं 2026 में उत्तीर्ण छात्र ही स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन करें)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुक्रम में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश सम्बन्धी दिशा–निर्देश

छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने के लिये विषयों के वर्गीकरण की व्यवस्था शासनादेश सं0–1267/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 दिनांक 15–06–2021 के अनुसार समिति द्वारा विषय समूहों का वर्गीकरण एवं उससे आच्छादित विषय का विवरण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है :–

कला संकाय

(क)	ग्रुप ए :–	अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत
(ख)	ग्रुप बी :–	आधुनिक एवं मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, दर्शन शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, सैन्य विज्ञान, संगीत गायन, ड्राइंग एण्ड पेन्टिग (चित्रकला)
(ग)	ग्रुप सी :–	समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, शारीरिक शिक्षा, भूगोल

महाविद्यालय में सत्र 2026–27 में प्रवेश हेतु निम्नलिखित विषय पुंज अनुमन्य किये जाते हैं :–

1. ग्रुप ए के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय पुंज अनुमन्य किये जाते हैं :–
   अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत (इनमें से अधिकतम कोई दो)
2. ग्रुप बी के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय पुंज अनुमन्य किये जाते हैं :–
   (अ) आधुनिक एवं मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास (इनमें से कोई एक)
   (ब) दर्शनशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, सैन्य विज्ञान (इनमें से कोई एक)
   (स) संगीत गायन, ड्राइंग एण्ड पेन्टिग (इनमें से कोई एक)
3. ग्रुप सी के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय पुंज अनुमन्य किये जाते हैं :–
   (अ) समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान (इनमें से कोई एक)
   (ब) अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान (इनमें से कोई एक)
   (स) शारीरिक शिक्षा, भूगोल (इनमें से कोई एक)

नोट :– उपरोक्त विषय पुंजों में से दो मेजर विषय का चयन (अ, ब या स से एक–एक विषय) किया जायेगा।
विषय समूहों का वर्गीकरण व्यवस्था छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने हेतु है। परन्तु उन्हें डिग्री कला संकाय की मिलेगी।

मुख्य मेजर विषय का चयन :–

प्रारम्भ में विद्यार्थी का प्रवेश तीन वर्ष की स्नातक डिग्री हेतु होगा। चौथे वर्ष में विद्यार्थी चार वर्ष की स्नातक (मानद, स्नातक मानद शोध सहित एवं स्नातक अप्रेन्टिसशिप एम्बेडेड) डिग्री में से किसी एक का चयन कर सकते हैं।

(वर्ष–2024, 2025 एवं 2026 में उत्तीर्ण छात्र ही स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन करें)

माइनर विषय का चयन :-

1. माइनर विषय का कोर्स किसी भी विषय का इलेक्टिव पेपर होगा न कि पूर्ण विषय। यह 6 क्रेडिट का होगा।
2. विद्यार्थी माइनर विषय का चयन अपने द्वारा चयनित मेजर विषय समूह को छोड़कर अन्य संकाय या दूसरे विषय समूह से भी कर सकता है। माइनर विषय की परीक्षा द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार आयोजित होगी।

विज्ञान संकाय :-

विज्ञान संकाय के अन्तर्गत निम्नलिखित विषयों को सूचीबद्ध किया जाता है :–

भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित,

विषय समूह :-

Maths Group

Maths + Physics
Maths + Chemistry
Physics + Chemistry

BIO Group

Botany + Zoology
Botany + Chemistry
Zoology + Chemistry

नोट :-

1. उपरोक्त विषय समूहों में से विद्यार्थी को दो मेजर विषय हेतु किसी एक समूह का चयन करना होगा।
2. महाविद्यालय–विश्वविद्यालय अपने संसाधनों के अनुरूप निर्धारित सीटों में से न्यूनतम 33 प्रतिशत सीट पर प्रत्येक समूह में प्रवेश होगा।

मेजर विषय आवंटन हेतु दिशा निर्देश

1. 2026–27 से एनईपी के अन्तर्गत चलाये जा रहे स्नातक पाठयक्रमों में विद्यार्थी को प्रवेश के समय तीन मेजर विषयों की जगह सिर्फ दो मेजर विषय का चयन किसी एक संकाय से करना होगा और यही उसका अपना संकाय (own faculty) होगा। इन्ही दो स्नातक मेजर विषय के साथ विद्यार्थी इस संकाय में वह अगले तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) तक अध्ययन करेगा।
2. महाविद्यालय में अध्यापकों की उपलब्धता एवं संसाधनों के आधार पर विभिन्न मेजर विषयों की सीट पर प्रवेश दिया जायेगा।
3. छात्र को उपरोक्त विषय पुंज में दिये गये समूहों मे से किसी भी दो विषयों को मुख्य विषय (Major Subject) के रूप में चुनना होगा।
4. छात्र को अपने पहले मुख्य विषय के लिए एक समूह से और दूसरे मुख्य विषय के लिये दूसरे समूह से विषय का चयन करना होगा।
5. **मेजर विषयों में केवल एक प्रायोगिक विषय का आवंटन किया जायेगा (विज्ञान संकाय के विषयों को छोड़कर)।**

(वर्ष–2024, 2025 एवं 2026 में उत्तीर्ण छात्र ही स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन करें)

माइनर विषय आवंटन हेतु दिशा निर्देश

6. छात्र को अपने दो चयनित समूहों को छोड़कर किसी अन्य समूह से किसी एक विषय का और चयन करना होगा, जो उसका माइनर विषय (Minor Subject) होगा।
7. माइनर विषय का चयन मेजर विषय पुंज से भिन्न विषय पुंज से किया जायेगा, जो प्रायोगिक विषय न हो **(विज्ञान संकाय के लिये यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगी)।**
8. दो मेजर विषय के साथ विद्यार्थी को तीसरा विषय का भी चयन करना होगा, जो उसका मइनर विषय होगा। विद्यार्थी को एक–एक माइनर विषय का स्नातक प्रथम वर्ष (द्वितीय सेमेस्टर) एवं द्वितीय वर्ष (चतुर्थ सेमेस्टर) में अध्ययन करना होगा।
9. **माइनर विषयों में प्रायोगिक विषयों का आवंटन नहीं किया जायेगा (विज्ञान संकाय के लिये यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगी)।**
10. महाविद्यालय में उपलब्धता एवं प्रचलित कोर्स के आधार पर माइनर विषय (Minor Subject) का आवंटन किया जायेगा।
11. माइनर पेपर का आवंटन स्नातक द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में किया जायेगा। विद्यार्थी प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में माइनर हेतु चयन किये गये विषय के रूप में द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के साथ प्रश्न–पत्र (Paper/Course) का अध्ययन करेगा।
12. माइनर पेपर की परीक्षा द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के साथ सम्पन्न होगी।
13. मेजर पेपर के समान माइनर पेपर भी 06 क्रेडिट को होगा।

कौशल विकास कोर्स एवं पाठ्य–सहगामी के चयन हेतु दिशा निर्देश

1. स्नातक स्तर पर विद्यार्थी को मेजर एवं माइनर विषयों के साथ कौशल विकास कोर्स तथा पाठ्य–सहगामी कोर्स का भी अनिवार्य रूप से अध्ययन करना होगा।
2. कौशल विकास कोर्स को विद्यार्थी स्नातक स्तर पर प्रथम तीन सेमेस्टर (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर) में अध्ययन करेगा जो 3 क्रेडिट प्रति सेमेस्टर तथा कुल 09 क्रेडिट को होगा तथा पाठ्य–सहगामी कोर्स को उसे प्रथम चार सेमेस्टर (प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर) में अध्ययन करना होगा, जो कुल 08 क्रेडिट (प्रति सेमेस्टर 02 क्रेडिट) का होगा।
3. विद्यार्थियों को कौशल विकास कोर्स तथा पाठ्य–सहगामी कोर्स के आवंटन को और सुविधाजनक बनाने के लिये सेमेस्टरवार पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित कर दिया गया है।
4. विद्यार्थी कौशल विकास कोर्स और पाठ्य–सहगामी कोर्स का चयन नीचे दी गई सूची में से उस ग्रुप से करेगा जिसमें वह वर्तमान में अध्ययनरत होगा। अर्थात् यदि विद्यार्थी द्वितीय सेमेस्टर में अध्ययनरत है तो वह द्वितीय सेमेस्टर में

(वर्ष–2024, 2025 एवं 2026 में उत्तीर्ण छात्र ही स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन करें)

उपलब्ध ग्रुप में से ही कौशल विकास कोर्स तथा पाठ्य–सहगामी कोर्स का चयन कर सकता है, किसी अन्य सेमेस्टर के ग्रुप में से नही कर पायेगा।

5. स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर में विद्यार्थी को पाठ्य–सहगामी कोर्स में एक भारतीय भाषा/स्थानीय भाषा का अध्ययन करना अनिवार्य होगा। किन्तु भारतीय भाषा को मुख्य विषय के रूप में लेने वाले विद्यार्थी 'सामाजिक उत्तदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता पाठ्यक्रम का अध्ययन करेगें।'

कौशल विकास कोर्स Skill Development Courses

प्रथम सेमेस्टर :–

1- Voluntary Action and NGO Management
(बी0ए0/बी0एस–सी0 के छात्रों के लिये)

द्वितीय सेमेस्टर :–

1- Gandhian Model of Skill Development
(बी0ए0/बी0एस–सी0 के छात्रों के लिये)

तृतीय सेमेस्टर :–

1- Psychological Testing
(बी0ए0/बी0एस–सी0 के छात्रों के लिये)

पाठ्य-सहगामी कोर्स Co-Curricular Courses

प्रथम सेमेस्टर :–

1- First Aid and Basic Health
(प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)
(बी0ए0/बी0एस–सी0 के छात्रों के लिये)

द्वितीय सेमेस्टर :–

1- Human Values and Environmental Studies
(मानवीय मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन)
(बी0ए0/बी0एस–सी0 के छात्रों के लिये)

तृतीय सेमेस्टर :–

1- Physical Education and Yoga
(शारीरिक शिक्षा एवं योग)
(बी0ए0/बी0एस–सी0 के छात्रों के लिये)

चतुर्थ सेमेस्टर :–

एक भारतीय/स्थानीय भाषा या यू0जी0सी0 द्वारा बनाये गये सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से चयनित करना होगा।

1. पालि 2. भोजपुरी 3. कन्नड़ 4. सामान्य हिन्दी, 5. सामान्य संस्कृत
(बी0ए0/बी0एस–सी0 के छात्रों के लिये)

(वर्ष–2024, 2025 एवं 2026 में उत्तीर्ण छात्र ही स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन करें)

स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्राविधानों के अनुसार होनी है। अतः प्रवेशार्थियों के लिये विषयों का अंतिम रूप से आंवटन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्राविधानों के अन्तर्गत ही काउन्सलिंग के समय किया जायेगा।

1. **महाविद्यालय में प्रवेश हेतु माँ विन्ध्यवासिनी विश्वविद्यालय, मीरजापुर की समर्थ वेबसाइट https://mvvuadm.samarth.edu.in पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। इससे अभ्यर्थी को पंजीकरण संख्या (SRN Number) मिलेगा जिसको फार्म में भरना अनिवार्य होगा। इसके बिना अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु अर्ह नहीं माना जायेगा।**
2. **वर्ष 2024, 2025 एवं 2026 में इण्टरमीडिएट/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही स्नातक कक्षा में सत्र 2026–2027 में प्रवेश हेतु पात्र होगें।**
3. **वर्ष 2024 एवं 2025 में इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थी के प्राप्तांकों में क्रमशः 10 एवं 05 प्रतिशत के अंकों की कटौती की जायेगी।**
4. **प्रवेश की योग्यता सूची का निर्धारण योग्यता प्रदायी परीक्षा (इण्टरमीडिएट) के अधिकतम अंक प्राप्त पांच विषयों के अंकों के आधार पर किया जायेगा।**
5. **व्यावसायिक विषयों से इण्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश की मेरिट केवल उनके सैद्धान्तिक अंकों के आधार पर बनायी जायेगी।**
6. **वर्तमान सत्र में यदि किसी छात्र/छात्रा द्वारा इस संस्था के अतिरिक्त किसी दूसरी संस्था में संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश लिया जाता है तो संज्ञान में आने पर उसका प्रवेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।**
7. यदि कोई छात्र/छात्रा प्रवेश लेने के पश्चात् अपना प्रवेश निरस्त कराता है तो उसे किसी भी प्रकार के शुल्क की वापसी महाविद्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा।
8. महाविद्यालय का शैक्षणिक सत्र विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार प्रारम्भ होगा।
9. बी०ए० प्रथम सेमेस्टर में किसी विषय में छात्रों की संख्या का निर्धारण महाविद्यालय के संसाधनों एवं विश्वविद्यालय के निर्देशों पर आधारित होगा।
10. **एक संकाय/विभाग में प्रवेश हेतु पंजीकृत आवेदन पत्र किसी अन्य संकाय/विभाग में स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी कई विभागों/संकायों में प्रवेश आवेदन करना चाहता है तो उसे विभाग/संकाय में अलग–अलग आवेदन करना चाहिए।**
11. आवेदन फार्म की हार्ड कापी पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न कर महाविद्यालय में जमा करें। संलग्न प्रमाण–पत्रों से ही योग्यता सूची का निर्धारण किया जायेगा :–

(क) हाईस्कूल अंक तालिका की स्वप्रमाणित छाया प्रति।

(ख) इण्टरमीडिएट अंक तालिका की स्वप्रमाणित छाया प्रति।

(ग) चरित्र प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति।

(घ) दो नवीनतम् फोटोग्राफ (पासपोर्ट साइज)

(ङ) यदि आरक्षित वर्ग के हैं तो आरक्षित श्रेणी के नवीन कम्प्यूटराइज्ड प्रमाण पत्र के प्रारूप पर प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति अन्यथा आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(च) EWS श्रेणी के अभ्यर्थी सम्बन्धित नवीनतम प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति अवश्य जमा करें।

(छ) यदि किसी प्रकार का अधिभार अंक आवेदित है तो तत्सम्बन्धित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति।

12. प्रवेश हेतु आवेदन पत्रों के समय से न पहुँच पाने का उत्तरदायित्व महाविद्यालय पर नहीं होगा। प्रवेश लेते समय प्रवेशार्थी को सभी वांछित प्रपत्रों की मूल प्रतियाँ प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मूल प्रपत्र प्रस्तुत न करने पर संयोजक किसी भी दशा में प्रवेश नहीं देगें।
13. किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या उस विशेष पाठ्यक्रम में निर्धारित स्थान पर निर्भर करेगी। अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर ही प्रवेश हेतु विचार किया जायेगा।
14. विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार करने के लिए एक प्रवेश समिति होगी जिसकी स्वीकृति के आधार पर प्रवेश हो सकेगा।
15. प्रवेश के लिए चुने गये अभ्यर्थी प्रवेश समिति द्वारा निर्दिष्ट निश्चित तिथि तक महाविद्यालय में उपस्थित होकर अपेक्षित शुल्क जमा करें। निर्धारित तिथि के भीतर शुल्क जमा न करने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। जिस पाठ्य विषय में प्रवेश दिया गया है उसके विभागाध्यक्ष को प्रवेश रसीद दिखाकर अपना नाम कक्षा रजिस्टर में अंकित करा लें।
16. स्नातक कक्षाओं में प्रवेश प्राप्त सभी छात्र/छात्राओं को सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा निर्देशित परीक्षा फार्म भरने की अनिवार्यता होगी।
17. प्रवेश समिति/प्राक्टर/विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर किसी भी छात्र का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
18. महाविद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में सीमित स्थान होने के कारण प्रवेश योग्यता क्रम के आधार पर दिया जायेगा।
19. एक बार अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में दोबारा बैठ सकते हैं पर किसी भी दशा में उसी कक्षा में पुनः प्रवेश नहीं लिया जायेगा।
20. विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में असफल रह जाने या रोक दिये जाने पर किसी छात्र को महाविद्यालय की किसी कक्षा में प्रवेश नहीं मिल सकता है।
21. महाविद्यालय में पठन-पाठन के हित में प्राचार्य/प्रवेश समिति आवश्यकतानुसार नये नियम निर्देशित कर सकती है।
22. प्रवेश आवेदन-पत्र जमा करते समय संलग्न मान्य प्रमाण-पत्रों (अधिभार, आरक्षण आदि से सम्बन्धित) पर ही श्रेष्ठता सूची बनाते समय विचार किया जायेगा। इसके पश्चात् प्राप्त किसी भी प्रमाण-पत्र को स्वीकार/विचार नहीं किया जायेगा।

आरक्षण

स्नातक कला एवं विज्ञान प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु पाठ्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत समस्त प्रवेश सीटों पर उ0प्र0 शासन (उच्च शिक्षा) अनुभाग द्वारा अद्यतन अनुमन्य आरक्षण दिये जाने का प्रावधान लागू होगा। प्रवेश हेतु चुने गये अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय जाति का मूल प्रमाण-पत्र, EWS सम्बन्धित नवीनतम प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दिव्यांग एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को उनके वर्ग में ही एक प्रतिशत आरक्षण देय है।

(वर्ष–2024, 2025 एवं 2026 में उत्तीर्ण छात्र ही स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन करें)

भारांक

बी0ए0 / बी0एस–सी0 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु देय अधिभार (वेटेज) निम्नलिखित है :–

(क) एनसी0सी0 'सी' प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 15 अंक देय होगा।

(ख) एनसी0सी0 'बी' प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 10 अंक देय होगा।

(ग) स्काउट एवं गाइडस का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर 15 अंक देय होगा एवं राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर 10 अंक देय होगा।

टिप्पणी :–

(क) उपर्युक्त सुविधाओं में से अधिकम 02 सुविधाओं एवं अधिकतम 25 अंक का अधिभार दिया जायेगा।

(ख) **महाविद्यालय के कर्मचारियों / शिक्षकों (कार्यरत एवं अवकाश प्राप्त) के पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री व सगे भाई–बहन के लिए प्रवेश मानकों की अनिवार्यता नहीं रहेगी।**

आवश्यक निर्देश

(क) स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा यदि विषय संयुक्तियाँ (Subject Combinations) निर्धारित की जाती है तो प्रवेशार्थी को प्रवेश की अनुमति उन विषय पुंजो के आधार पर ही दी जायेगी।

(ख) वांछित विषय में स्थान रिक्त न होने की स्थिति में प्रवेशार्थी को शेष विषयों में वरीयता के आधार पर विषय चयन की सुविधा प्रदान की जायेगी।

(ग) छात्रों को विषयों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी। जो विषय बी0ए0 भाग एक में होंगे वही बी0ए0 भाग दो में भी होगें।

शिक्षा संकाय (बी0एड0)

यह दो वर्षीय सेमेस्टर पाठ्यक्रम है। इसमें प्रवेश हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा विश्वविद्यालय के माध्यम से राज्य स्तर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है। प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों की अर्हता एवं काउसिलिंग के आधार पर महाविद्यालय में प्रवेश की अनुमति दी जाती है।

परिचय पत्र

प्रत्येक छात्र / छात्रा को महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त परिचय पत्र अपने पास रखना आवश्यक है। इसे प्रवेश के बाद यथाशीघ्र नियन्ता कार्यालय से प्राप्त कर लेना चाहिए। किसी भी समय सक्षम अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर छात्र / छात्रा द्वारा इसे प्रस्तुत करना अनिवार्य है। परिचय पत्र खो जाने पर रू0 100 / – शुल्क जमा करने पर परिचय पत्र की द्वितीय प्रति प्राप्त की जा सकती है। तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर के छात्र प्रवेश के 15 दिन के अन्दर अपना परिचय पत्र प्राप्त कर लें।

यूनिफार्म :– महाविद्यालय द्वारा निर्धारित यूनिफार्म छात्र / छात्राओं के लिये अनिवार्य है।

छात्र–काला पैन्ट एवं सफेद कमीज

छात्रा–सफेद सलवार एवं ग्रे समीज

(वर्ष–2024, 2025 एवं 2026 में उत्तीर्ण छात्र ही स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन करें)

प्रवेशार्थ विश्वविद्यालय के अध्यादेश/निर्देश

ध्यातव्य नियम :-

1. महाविद्यालय में किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। छात्र/छात्रा प्रवेश व अन्य कार्य स्वयं उपस्थित होकर उपरोक्त नियमों का पालन करते हुये सम्पादित करेंगे।
2. महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त प्रत्येक छात्र/छात्रा से यह अपेक्षा की जाती है कि समय से देय शुल्क जमा करेगा/करेगी। ऐसा न करने पर अर्थ दण्ड लगाया जा सकता है।
3. जमा किये गये प्रत्येक शुल्क की रसीद दी जायेगी। जिसे सम्भाल कर रखना होगा।
4. जमा किया गया कोई शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।
5. यदि शुल्क में कोई परिवर्तन होता है तो परिवर्तित शुल्क ही देय होगा।
6. प्रवेश प्राप्त प्रत्येक छात्र/छात्रा को नियमानुसार पूरे सत्र का शुल्क देना होगा।
7. प्रवेश रसीद खो जाने पर दूसरी रसीद रू0 100/– जमा करने पर ही दी जायेगी।
8. परिचय पत्र खो जाने पर दूसरा परिचय पत्र रू0 100/– जमा करने पर ही दिया जायेगा।
9. छात्रवृत्ति हेतु बायोमैट्रिक सिस्टम पर छात्रों की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य तथा राष्ट्रीयकृत बैक का खाता नम्बर छात्रवृत्ति हेतु अनिवार्य है।
10. सभी छात्र/छात्राओं को अपना स्वयं का ई–मेल आई0डी0 एवं वाहट्सअप नम्बर अंकित करना अनिवार्य है।

सुरक्षा निधि की वापसी

महाविद्यालय छोड़ने के दो वर्षो के भीतर जमा की गयी सुरक्षा निधि आवेदन पत्र देकर वापस ली जा सकती है। भुगतान केवल एकाउण्ट पेयी चेक द्वारा होगा।

पुस्तकालय/वाचनालय

महाविद्यालय पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त करने के लिये पुस्तकालय कार्ड का होना आवश्यक है। प्रवेश पाने के बाद छात्र/छात्राओं को एक सप्ताह के अन्दर अपना पुस्तकालय कार्ड बनवा लेना चाहिए। किसी भी छात्र/छात्रा को दो से अधिक पुस्तकें निर्गत नहीं की जायेगी। पुस्तकालय द्वारा पुस्तक जमा करने की सूचना निर्गत होने के पश्चात् यदि किसी छात्र/छात्रा द्वारा निर्धारित समय पर पुस्तक वापस नहीं की जाती है तो उसे 1/– रूपया प्रति पुस्तक प्रतिदिन की दर से विलम्ब (अर्थ दण्ड) देना होगा। पुस्तकालय भवन में ही वाचनालय की सुविधा है, जहाँ प्रमुख पत्र–पत्रिकाएं उपलब्ध रहती हैं। छात्र/छात्राओं को इसका लाभ उठाना चाहिये। छात्राओं के कामन रूम में छात्राओं के लिये अलग से पत्र–पत्रिकाओं की व्यवस्था है।

साइकिल स्टैण्ड

छात्र/छात्राओं की साईकिलों की सुरक्षा के लिए महाविद्यालय की ओर से साइकिल स्टैण्ड की व्यवस्था है। किसी अन्य स्थान पर वाहनों का रखना वर्जित है। अन्यत्र रखने पर वाहन खो जाने की दशा में छात्र स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(वर्ष-2024, 2025 एवं 2026 में उत्तीर्ण छात्र ही स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन करें)

नियन्ता मण्डल

महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिये नियन्ता मण्डल का गठन किया गया है। महाविद्यालय परिसर में अनुशासनहीनता एवं किसी भी प्रकार का कदाचार करने पर छात्र/छात्रा के विरूद्ध नियन्ता मण्डल द्वारा कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

नेशनल कैडेट कोर (एन0सी0सी0)

महाविद्यालय में नेशनल कैडेट कोर (एन0सी0सी0) की इकाइयां कार्य कर रही हैं। छात्र/छात्राओं से इसमें शामिल होने की अपेक्षा की जाती है, विस्तृत जानकारी एन0सी0सी0 कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

एन0सी0सी0 अधिकारी :-

1. ले0 प्रो0 मकरन्द जायसवाल, प्रोफेसर समाज शास्त्र विभाग
2. ले0 रतनेश कुमार, असिस्टेण्ट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र
3. डॉ0 गीता विश्वकर्मा, असिस्टेण्ट प्रोफेसर, चित्रकला, केयर टेकर

रोवर्स/रेंजर्स

महाविद्यालय में रोवर्स/रेंजर्स की इकाईयाँ कार्य कर रही हैं। छात्र/छात्राओं को प्रवेश की सुविधा उपलब्ध है।

रोवर्स/रेंजर्स प्रभारी :-

1. डॉ0 कुलदीप पाण्डेय, असि0प्रो0 मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास
2. डॉ0 नेहा पटेल, असि0प्रो0 भौतिक विज्ञान

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन0एस0एस0)

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की एक इकाई स्वीकृत है एवं एक इकाई प्रस्तावित हैं।

कार्यक्रम अधिकारी :-

1. श्री सत्यकेतु शुक्ल, असि0प्रो0 संस्कृत विभाग

महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं के लिये अनुशासन सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्देश

1. महाविद्यालय परिसर में गुटखा, पान, तम्बाकू इत्यादि मादक पदार्थों का सेवन प्रतिबन्धित है। इन मादक पदार्थो का सेवन करते हुए पाये जाने पर छात्र/छात्राओं को आर्थिक दण्ड देय होगा।
2. महाविद्यालय परिसर को भारत स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक छात्र/छात्राओं को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी होगी।
3. महाविद्यालय परिसर में रैगिंग अपराध है। ऐसी दशा में प्रत्येक छात्र/छात्रा का यह कर्तव्य है कि परिसर को रैगिंग मुक्त रखें।

(वर्ष–2024, 2025 एवं 2026 में उत्तीर्ण छात्र ही स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन करें)

4. महाविद्यालय द्वारा निर्धारित ड्रेस एवं वैध परिचय–पत्र के अभाव में प्रवेश प्रतिबन्धित होगा।
5. वाह्य व्यक्तियों का महाविद्यालय में प्रवेश वर्जित है। अनधिकृत रूप से पकड़े जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही सम्भव है।
6. महाविद्यालय की सम्पत्ति को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी व क्षति की भरपाई सम्बन्धित छात्रों से की जायेगी।
7. महाविद्यालय के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता स्वीकार्य नहीं है। किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता पर महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा।
8. परीक्षा हेतु 75 प्रतिशत उपस्थिति सभी छात्रों हेतु अनिवार्य है।